

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

खातेदार पदोकाद

बनाम

श.पू.राम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 390/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/7/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>यन्दाकाई</u></p> <p>पति श्री <u>राधेश्याम जी खाकड़</u></p> <p>निवासी-<u>खोन्गार</u> तहसील <u>बस्ती</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>खोन्गार (तह.बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1085/588</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.1000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>खोन्गार (तह.बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1085/588</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.1000</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रूपये अक्षर <u>पाच सौ रूपय</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बिनु देवल) सहायक कलक्टर एवं उपरखण्ड अधिकारी</p>